

-डिगरी बमूकदमें इत्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रियांबडी
बइजलास श्री गौरीशंकर शर्मा आर.ए.एस.

वादी

1-हेमाराम पुत्र हीराराम जाति जाट
निवासी सुरजगढ तहसील रियांबडी
बनाम

प्रतिवादीगण :-

- 1-धर्मराम पुत्र हीराराम
- 2-शंकरलाल पुत्र उगमाराम
- 3-रामसुख पुत्र उगमाराम
- 4-हरजीराम पुत्र उगमाराम
- 5-कमला पुत्री पुत्र उगमाराम
- 6-शरणी पुत्री उगमाराम
- 7-प्रियका पुत्री गीता
- 8-विकास पुत्री गीता
- नाबालिंग जरिये संरक्षक पिता मुकेशकुमार
- 9-नारायणराम पुत्र अर्जुनराम
- 10-भंवरी पत्नि भारमल
- 11-रामस्वरूप पुत्र भारमल
- 12-रामदेव पुत्र भारमल
- 13-शारदा पुत्री भारमल
- 14-छोटी पुत्री भारमल
- 15-विमला पुत्री भारमल
- 16-धापू पुत्री भारमल
- 17-खेमराम पुत्र महादेव
- 18-छोटुराम पुत्र महादेव
- 19-अंजु पुत्री महादेव
- 20-बिदामी पत्नि महादेव
- 21-परमाराम पुत्र अर्जुनराम
- सभी जातियान जाट निवासीगण सुरजगढ तहसील रियांबडी
- 22-तहसीलदार रियांबडी
- 23-पटवारी हलका बीजाथल
- 24-पटवारी हलका रोहिसा
- 25- पटवारी हलका आलनियावास

दावा बाबत बंटवाड़ा,खातेदारी घोषणा व रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 53,88,91 रा.का.अ
1955. मुकद्दमान राजस्व वाद संख्या:- 47/2018 यह मुकद्दमा आज वास्ते अनफिसाल कतई रुबर
हमारे व हाजरी वादी....मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादी गण मिनजानिम मुद्दयलाह पेश होकर हुकम
दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1-वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में :-
मौजा लूंगिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 92 रकबा 2.7400 हैक्टर में सें रकबा
1.10 हैक्टर दक्षिणी तरफ का, खसरा नंबर 93 रकबा 2.7400 हैक्टर में सें रकबा 1.05 हैक्टर
उतरी तरफ का सामलाती, खसरा नंबर 169 रकबा 2.3800 हैक्टर में सें रकबा 1.40 हैक्टर
उतरी हिस्सा केवल हेमाराम के बंट में तथा मौजा सुरजगढ की सरहद में स्थित खसरा
नंबर 199 रकबा 0.65 हैक्टर में सें 0.49 हैक्टर दक्षिणी तरफ का सामलाती, खसरा नंबर 198
रकबा 1.1600 हैक्टर में सें रकबा 0.93 हैक्टर उतरी हिस्सा केवल धर्मराम के बंट में।

हेमाराव बनाम धर्माराव वगैरहा

2-प्रतिवादी संख्या 2 शंकरलाल के बंट में :-

मौजा लूगिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 90 रकबा 0.01 हैक्टर, गै.मु.बेरा, खसरा नंबर 93 रकबा 2.7400 हैक्टर में से रकबा 1.69 हैक्टर दक्षिणी तरफ का, खसरा नंबर 95 रकबा 2.60 हैक्टर में से रकबा 0.46 हैक्टर उत्तरी तरफ का।

3-प्रतिवादी रामसुख के बंट में-

मौजा बासनी नत्थु की सरहद में खसरा नंबर 216 रकबा 4.09 हैक्टर में से रकबा 1.40 हैक्टर दक्षिणी तरफ का।

4-प्रतिवादी संख्या 4 हरजीराम के बंट में-

मौजा सुरजगढ की सरहद में स्थित खसरा नंबर 199 रकबा 0.65 हैक्टर में से रकबा 0.16 हैक्टर उत्तरी तरफ का, खसरा नंबर 200 रकबा 1.26 हैक्टर सम्पूर्ण।

5-प्रतिवादी संख्या 9 नारायणराम के बंट में-

मौजा लूगिया के खेत खसरा नंबर 95 रकबा 2.60 हैक्टर में से रकबा 2.14 हैक्टर दक्षिणी तरफ का तथा मौजा बासनी नत्थु की सरहद में स्थित खसरा नंबर 216 रकबा 4.09 हैक्टर में से रकबा 1.08 हैक्टर मध्य-उत्तरी तरफ का तथा मौजा सुरजगढ की सरहद में खेत खसरा नंबर 214 रकबा 2.15 हैक्टर में से रकबा 1.42 हैक्टर उत्तरी तरफ का।

6-प्रतिवादी संख्या 11 व 12 रामस्वरूप व रामदेव के बंट में-

मौजा लूगिया की सरहद में स्थित खसरा नंबर 63 रकबा 2.05 हैक्टर सम्पूर्ण तथा मौजा सुरजगढ की सरहद में स्थित खसरा नंबर 220 रकबा 0.46 हैक्टर में से रकबा 0.35 हैक्टर उत्तरी तरफ का, खसरा नंबर 410 रकबा 1.07 हैक्टर सम्पूर्ण तथा मौजा बासनी नत्थु की सरहद में स्थित खसरा नंबर 216 रकबा 4.09 हैक्टर में से रकबा 0.11 हैक्टर नजरी नक्शा में बताये अनुसार, खसरा नंबर 239 रकबा 0.01 हैक्टर सम्पूर्ण खसरा नंबर 240 रकबा 1.28 हैक्टर सम्पूर्ण।

7-प्रतिवादीगण संख्या 17 व 18 खेमाराव व छोटुराम के बंट में-

मौजा लूगिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 91 रकबा 2.74 हैक्टर में से रकबा 0.55 हैक्टर दक्षिणी तरफ का, खसरा नंबर 92 रकबा 2.74 हैक्टर में से रकबा 1.60 हैक्टर उत्तरी तरफ का, खसरा नंबर 169 रकबा 2.38 हैक्टर में से रकबा 0.98 हैक्टर दक्षिणी तरफ का तथा मौजा बासनी नत्थु की सरहद में स्थित खसरा नंबर 216 रकबा 4.09 हैक्टर में से रकबा 0.42 हैक्टर उत्तरी तरफ का तथा मौजा सुरजगढ की सरहद में खसरा नंबर 423 रकबा 1.76 हैक्टर में से रकबा 1.42 हैक्टर दक्षिणी हिस्सा।

8-प्रतिवादी संख्या 21 परमाराम के बंट में -

मौजा लूगिया की सरहद में स्थित खेत खसरा नंबर 91 रकबा 2.74 हैक्टर में से रकबा 2.15 हैक्टर उत्तरी तरफ का तथा मौजा बासनीनत्थु की सरहद में स्थित खसरा नंबर 216 रकबा 4.09 हैक्टर में से रकबा 1.08 हैक्टर मध्य-दक्षिणी तरफ का तथा मौजा सुरजगढ की सरहद में स्थित खसरा नंबर 198 रकबा 1.16 हैक्टर में से रकबा 0.23 हैक्टर दक्षिणी तरफ का, खसरा नंबर 214 रकबा 2.15 हैक्टर में से रकबा 0.73 हैक्टर दक्षिणी तरफ का, खसरा नंबर 220 रकबा 0.46 हैक्टर में से रकबा 0.11 हैक्टर दक्षिणी तरफ का, खसरा नंबर 423 रकबा 1.76 हैक्टर में से रकबा 0.34 हैक्टर उत्तरी तरफ का।

नोट:- मौजा सुरजगढ की सरहद में खसरा नंबर 163 रकबा 0.32 हैक्टर की भूमि वादी व प्रतिवादीगण शंकरराम, रामसुख, हरजीराम, रामस्वरूप, रामदेव, खेमाराव, छोटुराम, परमाराम व नारायणराम के सामलाती रखी गई है तथा खसरा नं. 409 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.बेरा में परमाराम का 1/5 हिस्सा, हेमाराव व धर्माराव का 1/5 हिस्सा, रामस्वरूप रामदेव का 2/5 हिस्सा, खेमाराव, छोटुराम का 1/5 हिस्सा सामलाती होगा।

नोट:- मौजा लूगिया के खसरा नंबर 94 रकबा 0.14 हैक्टर गै.मु.रास्ता एवं खसरा नंबर 91 में से रकबा 0.04 हैक्टर की भूमि व खसरा नंबर 92 में से 0.04 हैक्टर की भूमि वादी व

अध्यक्ष
राजस्व लोक अदालत
केम्प
कानपुर

हेमाराम बनाम धर्माराम वगैरहा
प्रतिवादीग शंकरराम, रामसुख, हरजीराम, धर्माराम, रामस्वरूप, रामदेवी, खेमाराम, छोटुराम, परमाराम व
नारायणराम के रास्ता हेतू रहेगी।

नोट:- प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8, 10, 13 से 16, 19 व 20 ने अपने बंट की एवज में वादी व
अन्य प्रतिवादीगण से नगदी व गहने प्राप्त कर लिये हैं तथा अपना सम्पूर्ण खातेदारी हक
वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण के हक में जुबानी तर्क कर दिया है जिससे वादग्रस्त खसरान
की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 5 से 8, 10, 13 से 16, 19 व 20 का कोई हक व बंट नहीं
रखा गया है। इससे इनका नाम खातेदारी से हटाया जाता है।

खसरा नंबर मौजा लूगिया के खेत खसरा नंबर 92 रकबा 2.14 हैक्टर की भूमि में
माधुराम की जगह महादेव दर्ज किया जावें। तथा खसरा नंबर 169 में हेमाराम, हरजीराम
पिसरान हीराराम के स्थान पर हेमाराम, धर्माराम पिसरान हीराराम दर्ज किया जावें।

तहसीलदार उपरोक्तानुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अलग अलग
खातेदारी दर्ज की जावें तथा राजस्व रेकर्ड को दुरुस्त किया जावें।

लीत.....मुबलिक.....बाबात.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....
फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक.....का अदा करें।
नोट:- उपरोक्त खसरान में सैं अगर बैंक के रखा गया हो तो रहन यथावत रहेगा।

बसीब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख :- 16.5.18

अध्यक्ष

(गौरीशंकर शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

रियांबड़ी

राजस्व लोक अदालत

कैम्प-अरनियाला

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुद्दायलत | रूपये | पैसे |
|---|-------|------|---|-------|------|
| स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प वजह साबूत महंताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीप्जर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिंक | | | स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीप्जर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक मीजान | | |

अध्यक्ष

(गौरीशंकर शर्मा)

उपखण्ड अधिकारी

रियांबड़ी

राजस्व लोक अदालत

कैम्प-अरनियाला

रियांबड़ी